राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
222/17	12.09.2017	20.07.2018

अनुवान

1. मुन्शीराम दत्तक पुत्र सरबती जाति नाई निवासी शेखावास हाल आबाद सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0
2. जिलाधीश महोदय, अलवर राज0

:–प्रतिवादीगण

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः–

1. श्री पृथ्वी सिंह यादव, वकील वादी।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 20.07.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये तथा निर्णय कर दिये जाने का निवेदन किया। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0न0 993/858 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर में स्थित है। हाल ख0नं0 993/858 रकबा 0.51 है0 वक्त अलौट ख0नं0 858 मिन रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा से पैमूद हुआ है एवं विवादित आराजी राज्य सरकार द्वारा मिन वादी की माता मु0 सरबती बेवा लालसिंह जाति नाई निवासी शेखावास के नाम भूमिहीन होने के कारण सन 1974 में अलौट की गई थी तथा मिन वादी के पूर्वज अरसे दराज से काबिज काश्त थे। उक्त

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

एक्ट 1956 एवं बिस्वेदारी एवं जागीरदारी उन्मूलन अधि0 से मिन वादी के पूर्वज

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी में काश्त करते ही वादी के पूर्वज मु0 सरबती, लालसिंह व लालसिंह के पिता अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे है। जिस आधार पर उक्त भूमि मिन वादी के पूर्वज माता मु0 सरबती पत्नी लालसिंह को आवंटित की गई थी तथा आराजी पर काबिज होने के कारण उक्त अलौट का इंतकाल संख्या 121 दिनांक–18.05.81 को उलाहेडी कैम्प में नामदर्ज व मंजूर किया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के माता के नाम का अंकन संवत 2038 की जामबन्दीयात में गैर खातेदारी में दर्ज हो गया तथा मिनवादी की माता के फौत होने के बाद जरिये विरासत मिन वादी को प्राप्त हुई है तथा मिन वादी के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज हो गया व मिन वादी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर बिना किसी एतराज व विरोध के मिन वादी ही काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादी का नाम अलौटी गैर खातेदार का अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून चला आ रहा है। जबकि मिन वादी व मिन वादी की माता संवत 2038 से आराजी पर काबिज होने के कारण स्वतः ही खातेदारी अधिकार हासिल हो गये। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे खिलाफ मौका व खिलाफ कानून गैर खातेदारी/अलौटी का अंकन दर्ज चला आ रहा है जिसे मिन वादी हजफ कराकर अपने नाम विवादित आराजी की खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। दिनांक–04.09.17 को मिन वादी ने नकूलाय प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने कहा तो उन्होने कहा कि तुम बार–बार चक्कर लगाते हो हम तुम्हारी भूमि को खातेदारी नहीं करेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य ग्रामीण लोगो से साज बाज हो गया है। जो ग्रामीण मिन वादी की भूमि को सरकारी भूमि घोषित कराकर उस पर बिजली ग्रिड खोलने की मिन वादी को धमकी दी। चूंकि मिन वादी ग्राम शेखावास हाल आबाद सियाखोह में रहता है व भूमि वाके ग्राम उलाहेडी मे स्थित है। जिस कारण से ग्राम उलाहेडी के प्रभावशाली लोग प्रतिवादीगण से साज बाज होकर मिन वादी की भूमि को सिवायचक दर्ज कराने पर तुले हुए है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है का निवेदन करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस प्रकार पारित की जावे कि हाल आराजी ख0नं0 993/858 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर का मिन वादी को कब्जेकाश्त खातेदार

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

काश्तकार घोषित किया जावे। रिकॉर्ड में अंकन दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड मे दर्ज गैर खातेदार/अलौटी के अंकन को हजफ कर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे एवं प्रतिवादी को हु0ई0 दवामी से पावन्द किया जावे कि वो अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड को इन्द्राज परिवर्तित ना करे, बिना वजह सिवाचयक दर्ज ना करे, वादी को वेदखल कर जवरन कोई विजली ग्रिड स्थापित नहीं करे, ना ही किसी दीगर व्यक्ति या संस्था के नाम अलौटमेन्ट करे व मौके की यथास्थिति बनाए रखे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये विधिवत सम्मन तलब किया गया। वाद तलबी पैरोकार सरकार ने जवाव दावा पेश किया। मुताबिक जवाब पैरोकार सरकार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त विवादित आराजी के बाबत वादी के नाम का गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है का अंकन करते हुए शेष जिम्मनो को वादी स्वयं सिद्ध करे व गौर काविल न्यायालय श्रीमान है अंकित करते हुए वादी उक्त भूमि पर खातेदारी लेना चाहता है जो गौर काविल न्यायालय है। मुताबिक जमाबन्दी व गिरदावरी में वादी का नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी अनुसार मौके पर वादी कब्जा काश्त है अंकन करते हुए जवाव पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वाद पत्र की तायीद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र मुन्शीराम पीडब्ल्यू1 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल खसरा गिरदावरी संवत 2043–46 प्रदर्श–1, नकल ख0गिरदावरी संवत 2047–50 प्रदर्श–2, नकल इंतकाल संख्या 121 वाके ग्राम उलाहेडी प्रदर्श–3, नकल जमावन्दी संवत 2071–74 प्रदर्श–4, नकल ख0 गिरदावरी संवत 2073 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी संवत 2063–66 प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 प्रदर्श–8, नकल ख0 गिरदावरी संवत 2063–64 प्रदर्श–9,10, नकल ख0 गिरदावरी संवत 2059–62 प्रदर्श–11, नकल जमाबन्दी (खतौनी) संवत 2038 प्रदर्श–12 अपने वाद पत्र की तायीद में पेश किए है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की हुई है–

1. आया विवादित आराजी हाल ख0नं0 993/858 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम उलाहेडी में स्थित है। जो वादीगण के पूर्वज भूमिहीन होने के कारण सन 1974 में वादी की माता सरवती देवी को अलौट हुई थी। जबकि वादीगण आज से करीब 70 वर्ष पूर्व से काविज काश्त थे। जिस कारण से कानूनी रूप से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

–जिम्मेवादी

2. आया विवादित आराजी पर मिन वादी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रतिवादी को जरिये हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

–जिम्मेवादी

3. आया विवादित आराजी बाबत वादी स्वयं साबित करे।

–जिम्मेप्रतिवादी

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वाद पत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी में काश्त करके ही वादी के पूर्वज मु0 सरबती, लालसिंह व लालसिंह के पिता अपने बच्चो का पालन पोषण करते रहे है। जिस आधार पर ही उक्त भूमि वादी के पूर्वज माता मु0 सरबती पत्नी लालसिंह को 1974 में आवंटित की गई थी तथा आराजी पर काबिज होने के कारण ही उक्त अलौटमेन्ट का इंतकाल संख्या 121 दिनांक–18.05.81 को वादी की माता के नाम दर्ज व मंजूर किया गया था। जिसके आधार पर संवत 2038 में वादी की माता के नाम गैर खातेदारी का अंकन हुआ है तथा वादी की माता अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करती रही तथा उनकी फोतगी के बाद वादी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा जरिये विरासत उक्त आराजी वादी को प्राप्त हुई है। तायीद में दस्तावेजात संलग्न पत्रावली है। मुताबिक प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौके पर आज दिन तक वादी काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

1. **तनकी संख्या 1–** आया विवादित आराजी हाल ख0नं0 993/858 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम उलाहेडी में स्थित है। जो वादीगण के पूर्वज भूमिहीन होने के कारण सन 1974 में वादी की माता सरबती देवी को अलौट हुई थी। जबकि वादीगण आज से करीब 70 वर्ष पूर्व से काबिज काश्त थे। जिस कारण से कानूनी रूप से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे रहा है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र की तायीद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल खसरा गिरदावरी संवत 2043–46 प्रदर्श–1, नकल ख0गिरदावरी संवत 2047–50 प्रदर्श–2, नकल इंतकाल संख्या 121 वाके ग्राम उलाहेडी प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 प्रदर्श–4, नकल ख0 गिरदावरी संवत 2073 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी संवत 2063–66 प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 प्रदर्श–8, नकल ख0 गिरदावरी संवत 2063–64 प्रदर्श–9,10, नकल ख0 गिरदावरी संवत 2059–62 प्रदर्श–11, नकल ज़माबन्दी (खतौनी) संवत 2038 प्रदर्श–12 अपने वाद पत्र की तायीद में पेश किए है। जिनके अवलोकन से स्पष्ट विदित है कि उक्त विवादित आराजी मु0 सरबती बेवा लालसिंह नाई साकिन शेखावास अलौटी होकर कब्जेकाश्त करती रही है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अलौटी गैर खातेदार का अंकन रहा है जो मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 121 वाके ग्राम उलाहेडी के अंकन रहा है। मु0 सरबती की फोतगी के बाद से आज तक वादी के नाम का अंकन रहा है एवं पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में अन्य बिन्दुओ को दोहराते हुए जमाबन्दी एवं गिरदावरी में वादी के नाम दर्ज होना तथा मौके पर कब्जा काश्त होना अंकित किया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी बहक़ वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाई जाती है।

2. **तनकी संख्या 2–** आया विवादित आराजी पर मिन वादी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रतिवादी को जरिये हुं0ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मेवादी रहा है। जब तनकी संख्या 1 स्पष्ट तौर से बहक वादी स्वीकार हो चुकी है तो यह न्यायालय इस तनकी को भी बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

3. **तनकी संख्या 3–** आया विवादित आराजी बाबत वादी स्वयं साबित करे। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है। जब तनकी संख्या 1 व 2 स्पष्ट रूप से बहक वादी स्वीकार योग्य पाई जाने की स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ प्रतिवादी बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

4. **दादरसी–** उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

–:आदेश:–

अतः यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी ख0नं0 993/858 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं वादी के नाम का उपरोक्त विवादित आराजीयात में हो रहे अलौटी/गैर खातेदार के बाबत के अंकन को हजफ किए जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमे आम में सुनाया गया।

20.07.18

(महेश चन्द्र गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
222/17

रजू दिनांक
12.09.2017

निर्णय दिनांक
20.07.2018

अनुवान

1. मुन्शीराम दत्तक पुत्र सरबती जाति नाई निवासी शेखावास हाल आवाद सियाखोह तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

:–वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0
2. जिलाधीश महोदय, अलवर राज0

:–प्रतिवादीगण

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः–

1. श्री पृथ्वी सिंह यादव, वकील वादी।

–::पर्चा डिक्री::–

दिनांकः– 20.07.2018

वकील वादी की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 20.07.2018 को **महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0नं0 993/858 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम उलाहेड़ी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत वादी का वाद डिकी किया जाता है एवं वादी के नाम का उपरोक्त विवादित आराजीयात में हो रहे अलौटी/गैर खातेदार के वावत के अंकन को हजफ किए जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।'

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

20.07.18

(महेश चन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner